

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.3.25	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज्ञा न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.3.25 को पेश हो।</p>	
12-3-25	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज्ञा न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 7.4.25 को पेश हो।</p>	
7.4.25	<p>पत्रावली पेश। अपीलाट/रेसॉडट अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धार 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम्प होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल इफतर हो।</p> <p>शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प सुन्धान)</p>	